### Central Goods & Services Tax Act, 2017

# Section 42: 1[\*\*\*\*]

Section 42 omitted by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022. Earlier to omission it read as under:

## Section 42: "Matching, reversal and reclaim of input tax credit

- (1) The details of every inward supply furnished by a registered person (hereafter in this section referred to as the "recipient") for a tax period shall, in such manner and within such time as may be prescribed, be matched—
  - (a) with the corresponding details of outward supply furnished by the corresponding registered person (hereafter in this section referred to as the "supplier") in his valid return for the same tax period or any preceding tax period;
  - **(b)** with the integrated goods and services tax paid under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) in respect of goods imported by him; and
  - (c) for duplication of claims of input tax credit.
- (2) The claim of input tax credit in respect of invoices or debit notes relating to inward supply that match with the details of corresponding outward supply or with the integrated goods and services tax paid under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) in respect of goods imported by him shall be finally accepted and such acceptance shall be communicated, in such manner as may be prescribed, to the recipient.
- (3) Where the input tax credit claimed by a recipient in respect of an inward supply is in excess of the tax declared by the supplier for the same supply or the outward supply is not declared by the supplier in his valid returns, the discrepancy shall be communicated to both such persons in such manner as may be prescribed.
- (4) The duplication of claims of input tax credit shall be communicated to the recipient in such manner as may be prescribed.
- (5) The amount in respect of which any discrepancy is communicated under subsection (3) and which is not rectified by the supplier in his valid return for the month in which discrepancy is communicated shall be added to the output tax liability of the recipient, in such manner as may be prescribed, in his return for the month succeeding the month in which the discrepancy is communicated.
- (6) The amount claimed as input tax credit that is found to be in excess on account of duplication of claims shall be added to the output tax liability of the recipient in his return for the month in which the duplication is communicated.
- (7) The recipient shall be eligible to reduce, from his output tax liability, the amount added under sub-section (5), if the supplier declares the details of the invoice or debit note in his valid return within the time specified in sub-section (9) of section 39.
- (8) A recipient in whose output tax liability any amount has been added under sub-section (5) or sub-section (6), shall be liable to pay interest at the rate specified under sub-section (1) of section 50 on the amount so added from the date of availing of credit till the corresponding additions are made under the said sub-sections.

## Central Goods & Services Tax Act, 2017

- (9) Where any reduction in output tax liability is accepted under sub-section (7), the interest paid under sub-section (8) shall be refunded to the recipient by crediting the amount in the corresponding head of his electronic cash ledger in such manner as may be prescribed:
  - **Provided** that the amount of interest to be credited in any case shall not exceed the amount of interest paid by the supplier.
- (10) The amount reduced from the output tax liability in contravention of the provisions of sub-section (7) shall be added to the output tax liability of the recipient in his return for the month in which such contravention takes place and such recipient shall be liable to pay interest on the amount so added at the rate specified in sub-section (3) of section 50."

भाग—ा

धारा 42 : ¹[.....]

1 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा धारा 42 विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 18 / 2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया। विलोपन के पूर्व यह धारा इस प्रकार थी :

## ''धारा ४२ : इनपुट कर प्रत्यय का मिलान, उत्क्रमण और पुनः दावा करना

- (1) किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्राप्तिकर्ता" कहा गया है) द्वारा किसी कर अविध के लिए, ऐसी रीति में और ऐसी अविध के भीतर, जो विहित की जाए, दिए गए प्रत्येक आवक पूर्ति के ब्यौरों का—
  - (क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "पूर्तिकार कहा गया है) द्वारा उसी कर अवधि या किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में दी गई जावक पूर्ति के तत्समान ब्यौरों के साथ;
  - (ख) उसके द्वारा आयातित माल के संबंध में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन संदत्त एकीकृत माल और सेवा कर के साथ; और
  - (ग) इनपुट कर प्रत्यय के दावों के द्विरावृत्ति के लिए, मिलान किया जाएगा।
- (2) उस आवक पूर्ति, जो तत्समान जावक पूर्ति के ब्यौरों के साथ या उसके द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन आयातित माल के संबंध में संदत्त एकीकृत माल और सेवा कर के साथ मेल खाती है, कि संबंध में बीजकों या नामे नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का दावा अंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा और ऐसी स्वीकृति प्राप्तिकर्ता को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसुचित की जाएगी।
- (3) जहां किसी आवक पूर्ति के संबंध में किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा दावाकृत इनपुट कर प्रत्यय उसी पूर्ति के लिए पूर्तिकार द्वारा घोषित कर से अधिक है या पूर्तिकार द्वारा अपनी विधिमान्य विवरणियों में जावक पूर्ति घोषित नहीं की गई है वहां यह फर्क दोनों ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसचित किया जाएगा।
- (4) इनपुट कर प्रत्यय के दावों की द्विरावृत्ति प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी।
- (5) ऐसी कोई रकम, जिसके संबंध में उपधारा (3) के अधीन किसी फर्क की संसूचना दी गई है और जिसको उस मास की जिसमें फर्क संसूचित किया गया है, विधिमान्य विवरणी में पूर्तिकार द्वारा ठीक नहीं किया गया है, प्राप्तिकर्ता की उस मास के, जिसमें ऐसे फर्क की संसूचना दी गई है, उत्तरवर्ती मास की उसकी विवरणी में, आउटपुट कर दायित्व में ऐसी में जोड़ दी जाएगी, जो विहित की जाए।
- (6) इनपुट कर प्रत्यय के रूप में दावा की गई रकम, जो दावों की वृत्ति के कारण आधिक्य में पाई जाती है, को उस मास, जिसमें द्विरावृत्ति संसूचित की जाती है, प्राप्तिकर्ता की विवरणी में आउटपुट कर दायित्व में जोड़ा जाएगा।
- (7) प्राप्तिकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (5) के अधीन जोड़ी गई रकम को घटाने का पात्र होगा, यदि पूर्तिकार धारा 39 की उपधारा (9) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपनी विधिमान्य विवरणी में बीजक या नामे नोट के ब्यौरों को घोषित् करता है।
- (8) कोई प्राप्तिकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, प्रत्यय का उपभोग करने की तारीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी वर्धन किए जाने तक इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।
- (9) जहां उपधारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में किसी कमी को स्वीकार किया गया है वहां उपधारा (8) के अधीन संदत्त ब्याज के प्राप्तिकर्ता को, उसकी इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में तत्स्थानी शीर्ष में रकम की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जमा करके प्रतिदाय किया जाएगा: परन्तु किसी भी दशा में जमा किए जाने वाले ब्याज की रकम पूर्तिकार द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी।
- (10) उपधारा (7) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को प्राप्तिकर्ता की उस मास की उसकी विवरणी में के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ा जएगा, जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और ऐसा प्राप्तिकर्ता इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा 50 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।"